दिनांक 01.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 457/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना कोतवाली चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.08.2026 को थाना कोतवाली चन्दौली व थाना सैयदराजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंचफेड़वा अलीनगर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिलशाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैयदराजा पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद चन्दौली, जौनपुर व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलशाद निवासी ग्राम मरखामऊ नई बाजार थाना मऊ आईमा, प्रयागराज।

जनपद चन्दौली/थाना इलिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.08.2026 को थाना इलिया व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त समसाद राइन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इलिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समसाद राइन निवासी ग्रामसभा गम्हरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

कमिश्नरेट आगरा/थाना खेरागढ़

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 50 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी राइफल मय 02 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2026 को थाना खेरागढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फजीहतपुरा कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 50 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 लाइसेन्सी राइफल मय 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कागारौल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेरागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ध्रुव निवासी रजई थाना ड़ाग बसई जनपद धौलपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी के 50 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 लाइसेन्सी राइफल मय 02 जीवित कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 01.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानीपत खटीमा हाइवे, रेलवे पुल के नीचे चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–फिरोज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–उस्मान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज निवासी मक्की नगर साउथ थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

2–उस्मान निवासी पुर बालियान थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता जामिया गेट साउथ थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने (745 ग्राम)–चाँदी (02 किलो 240 ग्राम) के आभूषण**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 31.08.2026 को थाना बुढ़ाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मन्दवाडा रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक उ0नि0 घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शहजाद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शहनवाज सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने (745 ग्राम)–चाँदी (02 किलो 240 ग्राम) के आभूषण, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना बुढ़ाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 28 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शहजाद निवासी खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

2–शहनवाज निवासी खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता कस्बा व थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने (745 ग्राम)–चाँदी (02 किलो 240 ग्राम) के आभूषण।

2–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 28 लाख रूपये कीमत के 55 किलो 989 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2026 को थाना दुद्धी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजखड़ घाटी के पास से अभियुक्त ऋषभ उर्फ रिशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 28 लाख रूपये कीमत के 55 किलो 989 ग्राम अवैध गांजा, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी, सोनभद्र, कमिश्नरनेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दुद्धी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ऋषभ उर्फ रिशु निवासी अलीपुर थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामू को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————